भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *220

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के माध्यम से रोजगार सृजन

***220. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बरेली में पारंपरिक बांसुरी उद्योग और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) बरेली में एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *220 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारत सरकार हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:-

(i) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी): कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना तथा कारीगरों को कौशल विकास से लेकर बाजार पहुंच तक समग्र सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

(ii) व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस): इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कारीगरों और उद्यमियों को आधुनिक अवसंरचना, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ-साथ बाजार संपर्क और उत्पादन विविधीकरण के साथ विश्व स्तरीय इकाइयां स्थापित करने में सहायता करना है।

परंपरागत बासुरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख): एमएसएमई मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परंपरागत कारीगरों और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

बरेली सहित पूरे भारत में पीएमईजीपी स्कीम के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला आदि सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का क्रमशः 25% और 35% की उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह सब्सिडी परियोजना लागत का 15% और 25% है।
ii. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना।
iii. पशुपालन से संबंधित उद्योग जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम पालन आदि) को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाना।
iv. उच्चतर सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।
v. पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।
vi. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

इसके अलावा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस) के माध्यम से कारीगरों को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास और पर्याप्त प्रशिक्षण के संदर्भ में अपेक्षित सहायता/लिंकेज प्रदान किया जाता है।

*****